# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह भाटी)

राजस्व आवेदन सं. 73 / 2023
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. वालाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट, निवासी बामडला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। | | 1. बालाराम पुत्र रामलाल<br>2. गंगाराम पुत्र रामलाल जाति जाट, निवासी भूणिया, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।<br>3. तहसीलदार सेड्व |

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री दोष मोहम्मद

दिनांक 29/07/24

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण वालाराम पुत्र जेठाराम जातियान जाट निवासी बामडला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा सराईयो का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू–अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 422 रकबा 3.9335 हैक्टर किस्म बा0दो0 का आया हुआ है। प्रार्थी के खेत के सेढे पर विप्रार्थीगण का खातेदारी के खेत मौजा सराईयो का तला तहसील सेडवा में खसरा संख्या 629/422 रकबा 4.9695 हैक्टर किस्म बा0दो0 का आया हुआ है। राजस्व कर्मचारियो राजस्व रेकर्ड में तरमीम करते समय प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम करना था लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त खसरे की तरमीम करते समय विप्रार्थीगण ने प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत के मध्य राजस्व कर्मचारियो से मिलकर गलत तौर पर तरमीम करवा दी तथा प्रार्थी का मौके पर कब्जा नक्शे में की गई तरमीम से विपरीत है। उक्त गलत् तरमीम की आड़ में विप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जेसुदा ढाणियां व टांके पर अवैध आधिपत्य करने पर उतारू है। मौके पर प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं की जाकर गलत तरमीम की गई है। विप्रार्थीगण ने अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी से मिलकर अपनी मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में गलत् तरमीम करवा दी तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को अपनी भूमि में समाहित करते हुए नक्शा ट्रेस मे गलत् तरमीम करवा दी जो मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड के विपरीत है। मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

ट्रेस में की गई तरमीम के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत् होने से खारिज कर पुनः मौके एवं कब्जा–काश्त अनुसार व परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे, जिस हेतू यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी ग्रामीण व अनभिज्ञ व्यक्ति है जिसे उक्त गलत तरमीम का ज्ञान नहीं हुआ तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को नोटिस इत्यादि भी दिया गया है। प्रार्थी का वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ सलग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल में दर्शाए अनुसार है। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गए बरंग काला की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है और इसी अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थी की तरमीम राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का को करनी चाहिए थी किंतु पटवारी हल्का ने जहां प्रार्थी का का कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण की तरमीम कर दी जिस प्रार्थीगण शुद्व करवाना चाहते है। आवेदन के साथ सलग्न परिशिष्ट 'अ' में जो भूमि बरंग लाल के रूप में दर्शायी गई है वहां प्रार्थी की तरमीम करनी है तथा जो भूमि बरंग काला दर्शायी गई है वहां विप्रार्थीगण की तरमीम करनी है। जिस हेतू उक्त आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत है। परिशिष्ट 'अ' को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जावे। प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सराईयो का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू–अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 422 रकबा 3.9335 हैक्टर किस्म बा0दो0 व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा सराईयो का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू–अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 629/422 रकबा 4.9695 हैक्टर किस्म बा0दो0 की लट्‌ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम को खारिज कर मौके पर कब्जा–काश्त व संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उप. नही हुआ अतःउनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में ग्राम सराईयो का तला पटवार मण्डल जापनालियाा के खसरा संख्या 629/422 रकबा 4.9695 हैक्टर किस्म बा0दो0 की भूमि प्रार्थी गंगाराम, वालाराम पिता रामलाल जाति जाट, सा0 भूणिया तथा खसरा संख्या 422 रकबा 3.9335 हैक्टर, खसरा संख्या 628/422 रकबा 1.0360 हैक्टर कुल रकबा 4.9695 हैक्टर किस्म बा0दोयम की भूमि विप्रार्थी वालाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट, सा0बामड़ला के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी ने प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में ग्राम सराईयों का तला के संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेडवा

खातेदारी भूमि खसरा संख्या 422, 422/2 रकबा 55.00 बीघा, 6.08 बीघा कुल रकबा 61.08 बीघा का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमान तहसीलदार चौहटन के आदेश कमांक 316/13.12.2004 की पालना में नामान्तरण संख्या 111 स्वीकृति दिनांक 13.12.2004 द्वारा खसरा संख्या 422, 422/2 रकबा 24.06 बीघा (3.9335 है.), 6.08 बीघा (1.0360 है.) कुल रकबा 30.14 बीघा (4.9695 है.) भूमि वालाराम वल्द जेठाराम जाति जाट, सा. बामडला तथा खसरा संख्या 422/3 रकबा 30.14 बीघा (4.9695 है.) भूमि गंगाराम, वालाराम, रूखमणाराम पिता रामलाल जाति जाट, सा0 भूणिया के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित गई तथा लट्ठा ट्रेस में बंटवारा अनुसार तरमीम की गई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी द्वारा करवाया गया सहमति विभाजन तरमीम मौका कब्जा काश्त, रहवासी ढाणी अनुसार नहीं है इसलिये ग्राम सराईयों का तला के खसरा संख्या 629/422 रकबा 4.9695 हैक्टर की प्रस्तावित तरमीम प्रार्थीगण वालाराम, गंगाराम पिता रामलाल की रहवासी मकान, कुंआ मय कृषि कनेक्शन, ओर्गनिक एग्रीकेयर प्लांट, रोड़ पर दो दुकान एवं खेत के चारों ओर तारबन्दी, कब्जाकाश्त अनुसार सलंग्न नक्शे में बरंग हरे से दर्शित की गई है तथा विप्रार्थी वालाराम पुत्र जेठाराम के खसरा संख्या 422 रकबा 3.9335 हैक्टर की प्रस्तावित तरमीम उनके कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित की गई है जिसे सलंग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। खसरा संख्या 628/422 रकबा 1.0360 हैक्टर में विप्रार्थी वालाराम की रहवासी पक्का मकान एवं औरा, झौपड़ा बनाया हुआ है जिसकी तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार सही है। फर्द मौका तरमीम दुरूस्ती पढकर सुनाई गई सुन समझकर मौके पर उपस्थित प्रार्थी वालाराम एवं मौतबरान में हस्ताक्षकर किये, विप्रार्थी वालाराम सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण अमरदान वालाराम पुत्र जेठाराम जातियान जाट निवासी बामडला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मौजा सराईयो का तला पटरवार क्षेत्र जानपालिया भू अभिलेख क्षेत्र बुरहान का तला के खेत खसरा संख्या 422 रकबा 3.9335 हैक्टर किस्म बा0दो0 व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा सराईयो का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

भू–अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 629/422 रकबा 4.9695 हैक्टर किस्म बा0दो0 में राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/24 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

29/7/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा